भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
2-ए मानसिंह रोड, नई दिल्ली - 110011
2-A Man Singh Road, New Delhi

संख्या : 2/6/2017-VS(CRS)

दिनांक : 03 नवंबर, 2017

परिपत्र

विषय- प्रमुख दरों की निगरानी - कार्यवाही की जाए।

सिविल पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम 1969 द्वारा शासित है। केंद्रीय स्तर पर भारत का महारजिस्ट्रार (आरजीआई) पूरे देश में पंजीकरण की गतिविधियों का समन्वय और एकीकरण करता है। इस कानून का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के पास है जिन्होंने इसके लिए मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नियुक्त किए हैं। जन्म और मृत्यु के आंकड़े राष्ट्रीय नीति निर्माण में प्रमुख घटक हैं और जनसंख्या गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । ये महत्वपूर्ण आंकड़े प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक आवास आदि से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की योजना, निगरानी और मूल्यांकन के लिए अमूल्य हैं ।

2. आरबीडी अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक स्थानीय रजिस्ट्रार जिला रजिस्ट्रार को रिपोर्टिंग प्रपत्रों के सांख्यिकीय भाग के साथ एक मासिक रिपोर्ट भेजता है जो जिलावार सूचना संकलित करता है और प्रत्येक राज्य/यूटी में निर्धारित तंत्र के अनुसार इसे मुख्य रजिस्ट्रार को भेजता है । महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी संख्या में राज्यों और केंद्रीकृतों ने अब अपने-अपने राज्यों/केंद्रीकृत राज्यों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के ढांचे को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत कर दिया है और एमआईएस रिपोर्ट प्रणाली से उत्पन्न हो जाती है । कुछ राज्य ऐसे हैं जहां जन्म और मृत्यु पंजीकरण आंशिक रूप से कंप्यूटरीकृत है, और कुछ राज्य जहां कंप्यूटरीकरण का स्तर कम है और अभी भी फॉर्म के माध्यम से जन्म/मृत्यु पंजीकरण और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की मैनुअल प्रणाली का पालन करता है

3. अब 2018 (1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 तक) से जिला और राज्य दोनों स्तर पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सीआरएस के आंकड़ों से कुछ महत्वपूर्ण दरों की गणना करने का प्रस्ताव है। यथा यह संकेतक शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) एम अंडर फाइव मृत्यु दर, मृतजन्म दर और जन्म के समय लिंग अनुपात हैं । सीआरएस के द्वारा जनरेट की गयी महत्वपूर्ण दरें पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित सटीक और वास्तविक डेटा हैं और इसलिए कानूनी रूप से स्वीकार्य हैं। ये महत्वपूर्ण दरें किसी भी अन्य अनुमान पर अधिक महत्वपूर्ण होंगी जो डेटा की कमी के कारण प्रॉक्सी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। संबंधित राज्य के मुख्य पंजीयक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक जिले के लिए जिला पंजीयक द्वारा माहवार आंकड़े संकलित किए गए हैं और इसकी एक प्रति जनगणना कार्य निदेशक को रिकार्ड के

लिए भेज दी गयी है। जिन राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों ने 100% कंप्यूटरीकरण हासिल किया है, वे अपने मौजूदा आर्किटेक्चर से यह डेटा जेनरेट कर सकेंगे।

4. मैनुअल पंजीकरण का उपयोग करने वाले राज्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पंजीकरण डेटा पंजीकरण इकाई से जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में समय पर और सही रूप में भेजा जाए और बाद में मुख्य रजिस्ट्रार को महत्वपूर्ण संकेतकों की गणना की सुविधा प्रदान की जा सके । तद्नुसार रिपोर्टिंग प्रारूपों में कुछ परिवर्तन इस कार्यालय द्वारा किए जा रहे हैं :-

(I) महत्वपूर्ण संकेतकों की गणना की कार्यप्रणाली जिला/राज्य/यूटी स्तर पर महत्वपूर्ण संकेतकों की गणना की कार्यप्रणाली (अनुलग्नक 1) ।

(II) पंजीकरण पदाधिकारियों और डीसीओ की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां (अनुलग्नक 2) ।

(III) सारांश मासिक रिपोर्ट (प्रपत्र 11, 12 और 13) स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा जिला पंजीयक को भेजी जाए (अनुलग्नक 3)

(IV) जिला पंजीयक द्वारा राज्य के मुख्य पंजीयक को भारत के महारजिस्ट्रार के जनगणना कार्य निदेशक (डीसीओ)) को एक प्रति के साथ माहवार प्रत्येक जिले में जन्म और मृत्यु के संकलन के लिए रिपोर्ट का प्रारूप प्रेषित किया जाए (अनुलग्नक 4)।

(V) राज्य के मुख्य पंजीयक द्वारा राज्य में जन्म और मृत्यु के संकलन के लिए रिपोर्ट प्रारूप (अनुलग्नक 5।

(सैलेश)
भारत के महारजिस्ट्रार

सेवा में,

समस्त राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव / प्रशासक

संख्या 2/6/2017-वीएस (सीआरएस)

दिनांक : 03.11.2017

जानकारी के लिए प्रति और आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए :

सभी राज्यों के मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)

(मनोज कुमार)
उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)
manojISS9.rgi@nic.in

अनुलग्नक 1

जिला/राज्य/यूटी स्तर पर महत्वपूर्ण संकेतकों की गणना की पद्धति

पिछले महीने में पंजीयन इकाइयों द्वारा दर्ज किए गए सीआरएस डाटा को जिला पंजीयक द्वारा हर माह की 10 तारीख तक मुख्य पंजीयक को प्रस्तुत करना होगा।

वार्षिक रूप से महत्वपूर्ण संकेतकों की गणना करने की विधि नीचे दी गयी है :

जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) = $\frac{\text{वर्ष के दौरान पंजीकृत महिला के जन्मों की संख्या} * 1000}{\text{वर्ष के दौरान पंजीकृत पुरुष के जन्मों की संख्या}}$

शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) = $\frac{\text{वर्ष के दौरान शिशु मृत्यु की संख्या} * 1000}{\text{वर्ष के दौरान जीवित जन्मों की संख्या}}$

पांच वर्ष से कम मृत्यु दर = पांच वर्ष के अन्तर्गत मृत्यु दर वह संभावना है (5q0) है कि एक विशिष्ट वर्ष या समय अवधि में पैदा हुए एक बच्चे को पांच की उंर तक पहुंचने से पहले मर जाएगा, वर्तमान आयु विशिष्ट मृत्यु दर के अधीन । यह प्रति 1,000 जीवित जन्मों की दर के रूप में व्यक्त किया जाता है।

मृत जन्म दर (एसबीआर)= $\frac{\text{वर्ष के दौरान मृत जन्मों की संख्या} * 1000}{\text{वर्ष के दौरान जीवित जन्मों और मृत जन्मों की संख्या}}$

अनुलग्नक 2

पंजीयन पदाधिकारियों और जनगणना कार्य निदेशालय की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

चरण 1- पंजीयक फॉर्म 1, 2 और 3 की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करें और इन प्रपत्रों के सांख्यिकीय भाग को प्रत्येक महीने की 5वीं तारीख तक जिला पंजीयक को भेजें ।

चरण 2- पंजीयक फॉर्म 11, 12 और 13 भरेंगे और प्रत्येक महीने की 5वीं तारीख तक जिला पंजीयक को भेजेंगे। संशोधित प्रपत्रों को **अनुलग्नक 3** में संलग्न किया गया है।

चरण 3: जिला पंजीयक **अनुलग्नक 4** में प्रारूप के अनुसार प्रपत्र 11, 12 और 13 से डाटा संकलित कर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मुख्य पंजीयक एवं राज्य जनगणना कार्य निदेशालय (डीसीओ) को भेजेंगे।

चरण 4: डीसीओ और मुख्य रजिस्ट्रार जिलेवार डेटा संकलित करेंगे और **अनुलग्नक 5** में प्रारूप के अनुसार वह मासिक रिपोर्ट तैयार करेंगे और हर महीने की 15 तारीख तक ORGI भेजेंगे ।

अनुलग्नक 3

फॉर्म संख्या 11 (नियम 14 देखें)

जन्मों की सारांश मासिक रिपोर्ट

1. .....माह की रिपोर्ट.....:.....वर्ष
2. जिला :
3. शहर/गांव:
4. पंजीकरण इकाई:
5. महीने के दौरान पंजीकृत जन्मों का विवरण :

पुरूष	महिला	कुल 1+2
1	2	3

* कुल जन्म रिपोर्ट प्रपत्रों के सांख्यिकीय भाग की संख्या के बराबर होना चाहिए (फार्म नंबर 1) इस मासिक रिपोर्ट के साथ संलग्न ।

दिनांक :

जिला पंजीयक को सौंपा

पंजीयक के नाम व हस्ताक्षर

फॉर्म संख्या 12 (नियम 14 देखें)

मृत्यु की सारांश मासिक रिपोर्ट

1.....माह की रिपोर्ट.....वर्ष

2. जिला :

3. शहर/गांव :

4. पंजीकरण इकाई :

5. महीने के दौरान पंजीकृत मृत्यु का विवरण :

विवरण (सभी शिशु और बाल मृत्यु सहित)			शिशु मृत्यु (आयु 1 वर्ष से कम)			बाल मृत्यु (आयु 1 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम)		
पुरूष	महिला	कुल (1+2)	पुरूष	महिला	कुल (4+5)	पुरूष	महिला	कुल (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* इस मासिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कुल मृत्यु रिपोर्ट फॉर्म (फॉर्म संख्या 2) के सांख्यिकीय भाग की संख्या के बराबर होना चाहिए।

दिनांक :

पंजीयक का नाम व हस्ताक्षर

जिला पंजीयक को सौंपा :

फॉर्म नंबर 13 (नियम 14 देखें)

जन्मों की सारांश मासिक रिपोर्ट

1.....माह की रिपोर्ट.....:.....वर्ष

2. जिला :

3. शहर/गांव :

4. पंजीकरण इकाई :

5. महीने के दौरान पंजीकृत मृत्यु का विवरण :

पुरूष	महिला	कुल 1+2
1	2	3

* कुल जन्म रिपोर्ट प्रपत्रों के सांख्यिकीय भाग की संख्या के बराबर होना चाहिए (फार्म नंबर 3) इस मासिक रिपोर्ट के साथ संलग्न ।

दिनांक :

जिला पंजीयक को सौंपा :

पंजीयक के नाम व हस्ताक्षर

अनुलग्नक 4

पंजीकृत जन्म, मृत्यु, शिशु मृत्यु और मृत जन्म जिला/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की माहवार जानकारी

राज्य : **जिला :** **माह :** **वर्ष :**

शहरी/ ग्रामीण	पंजीकरण इकाइयों की संख्या (आरयू)	मासिक रिटर्न जमा करने वाले आरयू की संख्या	रिपोर्टिंग का स्तर (%) (3/2*100)	पंजीकृत जन्म की संख्या			पंजीकृत मृत्यु की संख्या			शिशु मृत्यु की संख्या (1 वर्ष से कम)			बाल मृत्यु की संख्या (आयु 1 वर्ष या अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम)			पंजीकृत मृत जन्मों की संख्या		
				पुरुष	महिला	कुल (5+6)	पुरुष	महिला	कुल (8+9)	पुरुष	महिला	कुल (11+12)	पुरुष	महिला	कुल (14+15)	पुरुष	महिला	कुल (17+18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ग्रामीण																		
शहरी																		
कुल																		

पंजीकृत जन्म, मृत्यु, शिशु मृत्यु और मृत जन्म जिला/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की माहवार जानकारी **अनुलग्नक 5**

राज्य : **माह :** **वर्ष :**

जिले का नाम	शहरी/ ग्रामीण	पंजीकरण इकाइयों की संख्या (आरयू)	मासिक रिटर्न जमा करने वाले आरयू की संख्या	रिपोर्टिंग का स्तर (%) (4/3*100)	पंजीकृत जन्म की संख्या			पंजीकृत मृत्यु की संख्या			शिशु मृत्यु की संख्या (1 वर्ष से कम)			बाल मृत्यु की संख्या (आयु 1 वर्ष या अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम)			पंजीकृत मृत जन्मों की संख्या		
					पुरुष	महिला	कुल (6+7)	पुरुष	महिला	कुल (9+10)	पुरुष	महिला	कुल (12+13)	पुरुष	महिला	कुल (15+16)	पुरुष	महिला	कुल (18+19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
जिला 1	ग्रामीण																		
	शहरी																		
	कुल																		
जिला 2	ग्रामीण																		
	शहरी																		
	कुल																		
जिला संख्या	ग्रामीण																		
	शहरी																		
	कुल																		
ग्रामीण राज्य																			
शहरी राज्य																			
कुल राज्य																			